कार्यालय मुख्य वन सरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1807 **/11–सी–**FP/UP/Others/16134/2015, **लखनऊ, दिनांकः जनवरी** 18 **,2024**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषयः– जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच0–1, किमी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/444, दिनांक 05.12.2023 एवं आपका पत्रांक–1711/2–6, दिनांक 12.01.2024

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12.01.2024 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें परीक्षणोपरान्त निम्न कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया:–

1. ऑनलाइन पार्ट–2 के क्रमांक–4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है, जबकि एन0पी0वी0 की गणना में 0.4 है। अतः सही हरियाली घनत्व 0.4 ऑनलाइन पार्ट–2 में फीड करें तथा हिन्दी भाग–2 में सही हरियाली घनत्व अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।
2. भारत सरकार के आपत्ति के निराकरण के क्रम में संलग्न दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है। अतः सही गणना संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें तथा Additional Information Detail से पूर्व की त्रुटिपूर्ण गणना को डिलीट करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्ति का संशोधित निराकरण संस्तुति सहित ऑनलाइन अपलोड कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1807 **/11–सी–FP/UP/Others/16134/2015, दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया।
2. डिविजनल मैनेजर, नयारा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), अरिहन्त काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।